विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक / एफ / प्रशा / स्था / 2020 / 2679 दिनांक 14/03/2020

/ / अधिसूचना / /

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के जारी आदेश क्रमांक 249 / 68 / सीसी / 38 / 2020 दिनांक 13.03.2020 के परिपालन में निर्देशित किया जाता है कि राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित को दृष्टिगत रखते हुये **नोवेल कोरोना वायरस** (covid-19) व उससे जनित बिमारी के संक्रमण से बचाव हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह में एकत्रित / उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप उक्त बिमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उदेश्य से एहतिययात के रूप में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिय गये है–

1. जीवाजी विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में अस्थाई रूप से अगामी आदेश तक अवकाश रहेगा।
2. विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में संचालित वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन यथावत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जावेगा।
3. उक्त अवधि में विश्वविद्यालय / अशासकीय एवं शासकीय महाविद्यालयों में सामूहिक गतिविधियॉ जैसे कीडा गतिविधियॉ सांस्कृतिक गतिविधियॉ, सैमिनार एवं कार्यशाला इत्यादि सामूहिक गतिविधियों का संचालन स्थगित रहेगा।
4. उक्त अवधि में विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में समस्त शैक्षणिक / गैर शैक्षणिक स्टाफ संस्था में उपस्थित रहकर यथावत शासकीय परीक्षा कार्य संपादित करेगें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं अगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। शासन द्वारा जारी आदेश में वर्णित उपरोक्त दिशानिर्देशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

नोट– कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुये विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे अगामी आदेश तक अपनी उपस्थिति वायोमैट्रिक मशीन में न लगाते हुये उपस्थिति पंजी पर अपने हस्ताक्षर करेगें।

कुलसचिव

प्रतिलिपि–

1. समस्त संबंधित शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय जीवाजी विश्वविद्यालय ,ग्वालियर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक / अधिकारी / कर्मचारी / छात्र एवं छात्राऍ जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।
3. विश्वविद्यालय के सूचना पटल / बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

उपकुलसचिव (प्रशासन)